न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 183/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/499

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भैराराम पुत्र हरिराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.धर्माराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी निचली वास बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 27/06/2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी भूमि वादी अपना उपयोग–उपभोग करने का अधिकारी है एवं उनका खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा व अनुचित निर्माण करने का कोई अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि वादग्रस्त भूमि के सेढा सेढ अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रभावशाली व्यक्ति है,जो येन–केन तरीके से वादी की कब्जा काश्त भुमि पर लाठी के बल पर कब्जा करने के उतारू थे। जिस पर वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का श्री न्यायालय में आवेदन पेश किया,जो बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार हुआ। उक्त आदेश की पालना में नेखमबन्दी कार्यवाही किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी की खातेदारी भूमि मे अवैध अतिक्रमण होना पाया,जो कि परिशिष्ट अ मे मार्क अ,ब,स,द बरंग लाल मे दर्शित किया गया है। वादी की ओर से प्रतिवादी को उक्त अवैध कब्जा हटाने के लिए कहने पर उन द्वारा मना किया गया। अतःवादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण जो परिशिष्ट अ में मार्क अ,ब,स,द बरंग

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लाल से दर्शित अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किए जाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद–पत्र पेश किया गया हैं।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव भार्गव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह भाटी द्वारा वकालतानामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता द्वारा पैरोकारी नही किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता की ओर से वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादयक विरचित किए गए:–

<u>तनकी संख्या 1</u>–आया ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अतिचार स्वरूप अतिक्रमण जिसे वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ मे दर्शित अ,ब,स,द बरंग लाल से दर्शाया गया है,से प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी प्राप्ति का हकदार है ?

(जिम्मे–वादी)

<u>तनकी संख्या 2</u>–आया बाद कब्जा प्राप्ति प्रतिवादी के विरूद्व माफिक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा वादी जारी करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे–वादी)

<u>तनकी संख्या 3</u>–आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा व अतिक्रमण नही होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी)

तनकी संख्या 04– अन्य दादरसी ?

4. वादी पक्ष की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 भेराराम व PW.02 माणकचंद के बयानात कलमबद्व करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श–2 वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श–3 फर्द मौका दिनांक 26.8.2021 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श–4 फर्द मौका दिनांक 04.6.2021,प्रदर्श–5 तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित पत्रांक 1001/07.6.2022 की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट पत्र की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श–6 नेखमबंदी फर्द के संलग्न नक्शा प्रमाणित प्रति एवं प्रदर्श–7 वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट अ प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

5. प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य गवाहान पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी साक्ष्य गवाही पेश किए जाने के कारण प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई तथा वक्त बहस भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6. हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षे तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी भूमि वादी अपना उपयोग–उपभोग करने का अधिकारी है एवं उनका खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा व अनुचित निर्माण करने का कोई अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि वादग्रस्त भूमि के सेढा सेढ अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रभावशाली व्यक्ति है,जो येन–केन तरीके से वादी की कब्जा काश्त भुमि पर लाठी के बल पर कब्जा करने के उतारू थे। जिस पर वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाने का आवेदन पेश किया गया। जिसकी अनुपालना मे हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.8.2021 को सीमाज्ञान कार्यवाही की गई,जिसमे वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं अन्य का अतिक्रमण होना पाया गया। जिसके बावजूद भी प्रतिवादी व अन्य व्यक्ति अपने हरकतो से बाज नही आते हुए वादी को परेशान करने लगे। तब वादी की ओर से श्री न्यायालय मे नेखमबंदी करवाने का आवेदन पेश किया,जो दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई वादी का आवेदन स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी किए जाने के आदेश पारित हुए। उक्त आदेश की अनुपालना मे हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.6.2021 को नेखमबंदी कार्यवाही की गई,जिसमे संलग्न नक्शा अनुसार प्रतिवादी व अन्य व्यक्तियो का अतिक्रमण होना पाया गया। वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने का प्रतिवादी व अन्य व्यक्तियो को निवेदन किए जाने पर अन्य व्यक्तियो द्वारा रजामंदी के तहत अपने अतिक्रमण हटा दिए गए,लेकिन प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण नही हटाए गए। इस कारण श्री न्यायालय मे हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी पक्ष की ओर से बयानात एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से भी साबित है कि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है,जो वादी अवैध अतिक्रमण हटवाने का हकदार है। अंत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अवैध कब्जा जो परिशिष्ट अ में मार्क अ,ब,स,द बुरा लाल से दर्शाया गया है,से प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर वादी को सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आंशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के कब्जा व काश्त में किसी प्रकार के दंखल हस्तक्षेप,व्यवधान,नुकसान या प्रवेश की चेष्टा या प्रयास न तो स्वंय करे एवं न अन्य किसी से भी करावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

7. .हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, बयानात का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण में कायम तनकीयात का विवेचन करते हुए निम्न प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है:–

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 01–आया ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए अतिचार स्वरूप अतिक्रमण जिसे वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ मे दर्शित अ,ब,स,द बरंग लाल से दर्शाया गया है,से प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी प्राप्ति का हकदार है ?

(जिम्मे–वादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद–पत्र को साबित करवाने के लिए 02 गवाह की साक्ष्य करवाई गई तथा बयानात के समर्थन में प्रदर्श–01 से प्रदर्श–7 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। जिसमे पाया कि ग्राम बालोतरा नपाक्षै.तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि वादी की आवगी खातेदारी में इन्द्राज है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा कर रखे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो कि तत्कालीन हल्का पटवारी बालोतरा व हल्का पटवारी बिठूजा की ओर से वादग्रस्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही फर्द मौका दिनांक 26.8.2021 में स्पष्ट अंकन किया है,कि वादी की खातेदारी भूमि में बरंग लाल दर्शित भूमि पर अवैध अतिक्रमण कब्जा कर रखा है,जो कि प्रदर्श–3 अवलोकन से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार प्रदर्श–4 नेखमबंदी आदेश की पालना मे वादग्रस्त भूमि की पैमाईश फर्द मौका दिनांक 04.6.2021 मे भी स्पष्ट अंकन है कि वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नक्शा मे दर्शित बिन्दु ए.बी सी.डी. अनुसार प्रार्थी की भूमि पर विप्रार्थी का कब्जा होना पाया गया,जिसे नीला रंग से दर्शित किया गया है,जो नक्शा प्रदर्श–6 है। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का अवैध कब्जा कर रखा हैं,जो कि अवैध कब्जा की भूमि को वादी प्राप्त करने का अधिकारी है,उक्त तथ्यों को बल बयानात से मिलता है। उपरोक्त विवेचन उपरांत हस्तगत प्रकरण की धारा के अध्यारोही प्रभाव के आलोक में न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं,कि तनकी संख्या 01 वादी साबित करने में सफल रहने के कारण तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>–आया बाद कब्जा प्राप्ति प्रतिवादी के विरूद्व माफिक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा वादी जारी करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे–वादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। चूंकि तनकी संख्या 01 का विस्तृत विवेचन के उपरांत साबित हो चुका है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी का अवैध कब्जा हैं,जो अवैध कब्जा हटवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का हकदार हैं। वादग्रस्त भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादी के मध्य लम्बे समय से वाद विवाद चल रहा हैं। वादी वाद–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज से भी साबित कर दिया हैं, कि प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा है और अवैध कब्जा से बेदखल कर वादी पक्ष कब्जा प्राप्ति करेगा। इस कारण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हैं,ताकि वादी की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप व

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दखलदांजी नहीं करे तथा रिकार्डेड खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी हकदार हैं। अतः उक्त तनकी वादी साबित करने में सफल रहने के कारण वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3</u>–आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा व अतिक्रमण नही होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव भार्गव द्वारा दिनांक 09.11.2023 को वकालतनामा पेश किया गया था तथा उक्त प्रतिवादी की तरफ से जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किया गया तथा दिनांक 30.9.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता द्वारा पैरोकारी नही किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गए। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह भाटी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा साक्ष्य गवाही पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी साक्ष्य गवाही नही करवाए गए तथा न ही न्यायालय हाजा मे उपस्थित दिए जाने के कारण प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी के वाद पत्र के विरूद्व प्रतिवादी की ओर से अपने अपने अधिवक्ता नियुक्त कर रखे थे तथा प्रतिवादी पक्ष को वादी के वाद पत्र का सम्पूर्ण ज्ञान होने के उपरांत भी साक्ष्य गवाही नही करवाए गए तथा न ही पैरोकारी की गई। ऐसी सूरत मे उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 4</u>– अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

8. <u>अनुतोषः</u>–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 व 2 साबित करने में बखूखी सफल रहा है तथा प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। वादी के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा नपाक्षै.तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि में नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 04.6.2021 के सलंग्न नक्शा प्रदर्श–06 बरंग नीला में दर्शित अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कर रखा अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द किए जाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किया जाता हैं। अवैध कब्जा हटाने हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद लेने हेतु तहसीलदार पचपदरा को अधिकृत किया जाता है। प्रदर्श–06 नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 27/06/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 183/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/499

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भेराराम पुत्र हरिराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.धर्माराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी निचली बास बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 183/2023

निर्णय दिनांक :–27.6.2025

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 27.6.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम बालोतरा नपाक्षै.तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1728/476 क्षेत्रफल 2.8075 हैक्टयर भूमि में नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 04.6.2021 के सलंग्न नक्शा प्रदर्श–06 बरंग नीला में दर्शित अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कर रखा अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द किए जाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता हैं। अवैध कब्जा हटाने हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद लेने हेतु तहसीलदार पचपदरा को अधिकृत किया जाता है। प्रदर्श–06 नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 2 को जरिए स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे।

यह आज तारीख 27.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 183 / 2023
भेराराम बनाम धर्माराम वगैरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	——	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	——	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा